20

महत्वपूर्ण/आवश्यक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्या: उक/आधु.सेल-112-2007 दिनांक:दिसम्बर 12 ,2008

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- उ0प्र0 पुलिस विभाग के लिये स्वीकृत उपकरणों/संसाधनों के क्रय में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं क्रय प्रक्रिया में सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया शासनादेश संख्या: 5147/6-पु0-7-2008-185/2008 दिनांक 08.12.2008 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो पुलिस विभाग के लिये क्रय प्रक्रिया सरलीकरण किये जाने से सम्बन्धित है।

2- उपरोक्त शासनादेश द्वारा उ0प्र0 पुलिस विभाग के लिये स्वीकृत उपकरणों/संसाधनों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत क्रय प्रक्रिया के सरलीकरण में वर्तमान वित्तीय प्रावधानों एवं निर्देशों में निम्नांकित संशोधन किये गये है:-

1- भण्डार क्रय नियम-10 में विचलन करते हुये प्रोप्राइटरी आइटम को क्रय करने का अधिकार गृह विभाग को प्रतिनिधानित किया गया है।

2- आधुनिकीकरण योजना — तथा राज्य के सामान्य बजट से स्वीकृत उपकरणों/वाहनो की स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत मूल्य में कमी/वृद्धि की स्थिति में स्वीकृति/परिवर्तन का अधिकार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रतिनिधानित किया गया है।

3- वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करके सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपकरणों, बुलेट प्रूफ वाहनों आदि के क्रय सम्बन्धी प्रथम निविदा की न्यूनतम अवधि 30 दिन के स्थान पर 15 दिन निर्धारित की गयी है।

4- सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि निम्न प्रकार से की गयी है:-

(i) रू0 20,000/- तक बिना कोटेशन के

(ii) रू0 20,001/- से रू0 1,00,000/- तक कोटेशन मंगाकर (बिना वित्तीय सलाहकार की अनुमति के)

(iii) रू0 1,00,001/- से रू0 2,00,000/- तक कोटेशन मंगाकर (वित्तीय सलाहकार की अनुमति लेकर)

(iv) रू0 2,00,000/- से अधिक निविदा आमंत्रित करके।

5- पुलिस विभाग की विशिष्ट कार्यप्रणाली एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत निष्प्रयोज्य घोषित वाहनो के प्रतिस्थापन में नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी 45 दिन के अन्दर कराकर प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

6- पुलिस विभाग की विशिष्ट कार्यप्रणाली एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किये जा रहे उपकरणों के साथ उ0प्र0 पुलिस की मांग सम्मिलित किये जाने की अनुमति दी गयी है।

-2-

7- शासनादेश संख्या: 1783/18-5-08/32(एसपी)/2008 दिनांक: 3.12.2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुलिस विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों को सामान्य टेण्डर प्रक्रिया के अतिरिक्त भारत सरकार की पी0एस0यू0-एम.एम.टी.सी. (मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन) नई दिल्ली जैसे भारत सरकार के उपक्रमों के माध्यम से भी क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक पीएलए में जमा धनराशि के आहरण की अवधि शासन द्वारा दिनांक: 31.3.2009 तक इस शर्त के साथ बढ़ायी गयी है कि अवशेष धनराशि का उपयोग उक्त तिथि तक प्रत्येकदशा में सुनिश्चित कर लिया जाय। उपरोक्त सरलीकरण जारी हो जाने के बाद पुलिस विभाग के स्वीकृत उपकरणों के क्रय में अब विलम्ब नहीं होना चाहिये।

4- अनुरोध है कि कृपया आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विशेष अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें, ताकि पीएलए में जमा धनराशि का उपयोग समय से किया जा सके।

संलग्नक:-यथोपरि।

(एस0 पी0 श्रीवास्तव)
अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, पुलिस मुख्यालय।

2- पुलिस महानिरीक्षक, प्रो0/बजट, पुलिस मुख्यालय।

3- पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय।

4- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय।

5- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-दो, 3ख, सात, ग्यारह, पन्द्रह, उन्नीस, बीस(5 प्रतियों में), 21 एवं चौबीस।

संलग्नक:-यथोपरि।